

की पेश हो। १

23/6/22 पतावली पेच हुई। पार्थी व वकील पार्थी अशुभ
कार-कार आवाज लगावती गयी, आवाज लगावने
के उपरान्त भी पार्थी की आगे ले कोई उपस्थित
नहीं आया। अतः पार्थी का पार्थीय पत्र अदम
हाजरी अदम पेशी में खाटीज किया जाता है।
पतावली फिलाल शुभा होकर नम्बर से कम होकर
दफ्तर दाखिल है।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)